न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :– 364 / 2026
उत्पन्न चौसा थाना कांड संख्या :–112 / 2026

1. मो0 एहसान आलम साकिन– तेतरी बासा, उम्र लगभग 18 वर्ष, थाना–चौसा पिता–मो0 जब्बार जिला–मधेपुरा।

–आवेदक / अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

जमानत आदेश

04–06–2026

दिनांक 12.04.2026 से काराधीन अभियुक्त मो0 एहसान आलम का जमानत आवेदन जो चौसा थाना कांड संख्या–112 / 2026 अन्तर्गत धारा–303(2), 319(2), 318(4), 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 इश्तियाख रहमानी द्वारा आवेदन को प्रचालित किया गया।

04.06.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक को संदेह पर शत्रुता के कारण प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गलत तरीके से झूठे मामले में फंसाया गया है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है साथ ही सूचक द्वारा मोबाइल चोरी होने की बात कही गई है जिसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। सम्पूर्ण प्राथमिकी अविश्वसनीय तथा संदेहस्पद है, यदि आरोप सत्य होता तो भी सह–अभियुक्त द्वारा खाते में मौजूद पूरी राशि का निष्कासन कर लेनी चाहिए थी, साथ ही प्राथमिकी में संलग्न ट्रांजेक्शन का थोडी राशि के लेनदेन का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह भुगतान स्वंय सूचक द्वारा की गई थी तथा षडयंत्र के तहत आवेदक को झूठा आरोप लगाकर फंसा दिया है। आवेदक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चोरी करने तथा पे–फोन के माध्यम से लेनदेन करने का आरोप झूठा है, इसलिए यह मामला धारा–303(2), 318(4) के अंतर्गत आवेदक के विरूद्व नहीं बनता है तथा जमानतीय धाराएं है। विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि दरअसल सूचक का एक मुर्गा दुकान है तथा आवेदक के पिता का भी उसी बाजार में चिकन दुकान है तथा दोनो के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है जिस कारण आवेदक को इस झूठे मामले में फंसाया गया है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :– 364/2026
उत्पन्न चौसा थाना कांड संख्या :–112/2026

लगातार
04–06–26

–अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.04.2026 के रोज दो लडका मो0 ऐहसान आलम (आवेदक) तथा मो0 साहिल सूचक के दुकान पर आकर मोबाइल चोरी कर उसी मोबाइल से पप्पू पान भंडार को 30 रूपया भेजा अफतिकार आलम को 16000 रूपया फिर 160 रूपया सिशुपाल कुमार को 50 रूपया, सुनिल कुमार किराना स्टोर को 1300 रूपया, प्रदीप किराना स्टोर को 1020 रूपया, विकम कुमार विभुती को 610 रूपया का ट्रांजेक्शन करके उक्त दानो लडकों द्वारा भेजा गया। जबकि यही लडका सूचक का पे–फोन बनाया है। सूचक उक्त लडके से पिन बनवाए थे जो बराबर सूचक के दुकान पर आजा था, लेकिन इनके पूछने पर बोला कि हम नहीं लिये तब सूचक मुबाइल खो जाने के सम्बन्ध में चौसा थाना में आवेदन भी दिया तथा सी0सी0 टी0वी0 का साक्ष्य है। सूचक के मोबाइल के कभर में 3500 रूपया भी था जिसे उक्त दोनो लडको द्वारा निकाल लिया गया है।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–303(2), 319(2), 318(4), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा जिसके विरूद्व सह–अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक के दुकान से उनका मोबाइल चोरी करने तथा पे–फोन के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों को उक्त चोरी के मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर रूपया भेजे जाने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा–02 एवं 11 में वादी तथा साक्षी का बयान है जिसमें उन्होने प्राथमिकी का समर्थन किया गया है। पारा–19 में साक्षी ने अपने बयान में सूचक के मोबाइल से ट्रांजेक्शन होने की पुष्टि की है, परंतु आवेदक के पास से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदक दिनांक 12.04.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000/–रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को इस शर्त्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय मे सदेह उपस्थित रहेंगे, दो जमानतदारो मे से एक उनके करीबी रिश्तेदार होगे तथा अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित
Raghubir Prasad
04.06.2026
प्र0 अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।